न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 43/2018

1. जीवणराम उर्फ जीवन आयु 56 वर्ष, पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2. फूलाराम आयु 70 वर्ष पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3. गोरधन आयु 59 वर्ष, पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4. मृतक चुनाराम पुत्र नेतराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

4/1 रणवीर आयु 37 वर्ष पुत्र स्व. चुनाराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

4/2. शीशराम आयु 32 वर्ष पुत्र स्व. चुनाराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

5. बीरबल आयु 60 वर्ष पुत्र स्व नेतराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6. विद्याधर आयु 58 वर्ष, पुत्र स्व. नेतराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. जगदीश आयु 35 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति नायक, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू
2. राजेन्द्र आयु 32 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति नायक, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू
3. नेकीराम आयु 30 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति नायक, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू
4. मु0 सरबती आयु 60 वर्ष, पत्नी स्व0 भगवानाराम पुत्र भगवानाराम जाति नायक, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू
5. रतीराम आयु 36 वर्ष तथाकथित पुत्र स्व0 चुन्नीलाल, पुत्र भगवानाराम जाति नायक, निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू
6. सतवीर आयु 54 वर्ष पुत्र स्व भगुराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7. रामदेवाराम आयु 61 वर्ष पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8. मृतक मोहनराम पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

8/1 मु0 सरबती आयु 65 वर्ष पत्नी स्व. मोहनराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

8/2 महेन्द्र आयु 36 वर्ष पुत्र स्व. मोहनराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8/3 रोहिताश आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. मोहनराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8/4 महेश आयु 32 वर्ष पुत्र स्व. मोहनराम जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

9. करणीराम आयु 34 वर्ष पुत्र स्व. चुनाराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10. श्रीमती भूरीदेवी आयु 65 वर्ष, पत्नी स्व0 चूनाराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11. लालचन्द आयु 56 वर्ष, पुत्र स्व0 नेतराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
12. नाथाराम आयु 54 वर्ष, पुत्र स्व. नेतराम, जाति जाट निवासी ओला की ढाणी, तन धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
13. मनीराम आयु 53 वर्ष पुत्र स्व. चूनाराम उर्फ चुन्नीलाल, जाति नायक निवासी धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अं0धारा 225 राज.काश्तकारी अधि0 1955
खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर दिनांक 26.08.2013
बमुकदमा उनवानी जगदीश आदि बनाम जीवन आदि आवेदन पत्र
अं0धारा 183 बी. राज0 काश्तकारी अधि0 मु0नं0 02/2012

उपस्थितिः–

1 .श्री संदीप काजला , एडवोकेट ------ ---------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नफीस अहमद,एडवोकेट-------------------रेस्पोर्डेन्ट नं0 1 से 5 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट-----------------राज0सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 10.07.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.08.2013 उनवानी प्रकरण जगदीश आदि बनाम जीवण आदि मु.न. 02/2012 अ. धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– रेस्पोडेंट नं0 1 से 5 के आवेदन पत्र अं0धारा 183 बी गत खसरा नंबर 51 रकबा 7 बीघा 9 विश्वा हाल खसरा नंबर 227 लगायत 240 वाके ग्राम धनूरी में अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस नं0 6 से 13 के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने दिनांक 26.082013 को अपास्त करवाने व रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 5

के आवेदन पत्र अं0 धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम को खारीजं करवाने के लिये अपील पेश कर निवेदन किया कि –रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 5 आवेदकगण ने जमीन गत खसरा नंबर 51 कबा 7 बीघा 9 विश्वा हाल खसरा नंबर 227 लगायत 240 वाके ग्राम धनूरी के बाबत आवेदन पत्र में तथ्य दर्ज किये। और मौके पर जमीन की स्थिति दर्ज कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड वर्तमान खतौनी व जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2070 में खसरा नंबर 229, खसरा नंबर 230, खसरा नंबर 233, 234, 235, खसरा नंबर 238 से खसरा नंबर 240 के लिये मकान निर्मित होना अंकित है व खसरा नंबर 236 गैर मु0 रास्ता होना अंकित है व खसरा नंबर 227 गैर मु0 चाह अंकित है। उक्त इन्द्राजात से विवादित जमीन मौके पर कृषि भूमि ठिकाने के समय से ही नही रही है और यह भी रिकार्ड पर है कि खसरा नंबर 228 में पानी की टंकी, मदिर, हैण्ड पम्प निर्मित है। यह भी अंकित है कि कुआ खसरा नंबर 227 में चौपड़ा बना हुआ है। यह भी आदेशिका दिनांक 26.12.2007 में अंकित है कि कुआ व टंकी का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया हुआ है। इस प्रकार विवादित जमीन कृषि भूमि नहीं है व कृषि भूमि होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलांट चूनाराम का देहान्त दोराने प्रार्थना पत्र हो गया। अपीलांट नंबर 4 चूनाराम के वारिसान की तामिल होना मानकर आदेश पारित करने में भूल की गई है। अपीलांट न0 4/1 व 4/2 व रेस्पोडेन्टस नं0 9 व 10 पर कायम मुकामान के सम्मन की तामिल नहीं हुई । इस कारण सुरवाई का अवसर नहीं मिला। आदेशिका दिनांक 16.4. 2013 में गलत रूप से तामिल पर्याप्त मानकर संशोधित टाईटल पेश करने के लिये पेशी दिनांक 26.4. 2013 दी गयी ,लेकिन अनावेदकगण नं0 7/1 से 7/4 को धारा 183 बी के आवेदन पत्र की सुनवाई की सूचना नहीं दी गई व न नोटिस भेजे गये व न नोटिस के साथ आवेदन पत्र की नकल भेजी गयी। इस प्रकार अपीलांटस न0 4/1 व 4/2 को बिना सुनवाई का मौका दिये ही निर्णय पारित करने में भूल की है। आदेशिका दिनांक 16.4.2013 में गलत रूप से तामिल पर्याप्त मानकर संशोधित टाईटल पेश करने के लिये पेशी दिनांक 26.4.2013 दी गयी, लेकिन अनावेदकगण नं0 7/1 से 7/4 को धारा 183 बी के आवेदन पत्र की सुनवाई की सूचना नहीं दी गई व न नोटिस के साथ आवेदन पत्र की नकल भेजी गई। अदालत मातहत ने अनावेदक मोहनराम के वारिसान अनावेदकगण नं0 5/1 से 5/4 कायम कर सुनवाई के लिये नोटिस जारी नहीं किये, आदेश विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने आदेश 13 नियम 4 सीपीसी के प्रावधाना की पालना नहीं की व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड पर प्रदर्श नहीं डाले । रेस्पोडेंन्ट नं 1 से 5 में से कोई भी बतौर साक्षी योग्य अदालत मातहत में पेश नहीं हुआ व रेस्पोडेन्टस नं 1 से 5 ने अपने आपको आवेदन पत्र को साबित करने के लिये परीक्षित नहीं करवाया । इस कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान के अनुसार यह अवधारणा ली जावेगी की रेस्पों. नंबर 1 से 5 आवेदकगण के आवेदन पत्र

में दर्ज तथ्य गलत हैं। योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस को जबानी साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं दिया बिना युक्तियुक्त आधार के बिना विवेचना के निर्णय पारित किया है जो गलत है। इसके लिये अभिवचन का अवलोकन ही नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि अनुावेदक नं0 12 मनीराम के खिलाफ भी बेदखली का आदेश पारित किया है जो जाति से नायक है व आवेदन पत्र में उसका कब्जा नहीं बताया गया है। आवेदन पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड व खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश नहीं की गयी व न ही रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 5 की और से आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ व रेस्पोडेन्टस नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अंकन भी नहीं है। अनावेदक मोहनराम की मृत्यु सन 1999 में हुई उसके 12 साल बाद में अनावेदकगण नंबर 5/1 से 5/4 को पक्षकार बनाया गया जो मियाद बाहर है। आवेदन पत्र ना तो डूप्लीकेट कॉपी के साथ प्रस्तुत हुआ और ना ही आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। जवाब आवेदन पत्र में यह तथ्य दर्ज किया गया कि विवादित जमीन ठिकाने से रिहायश के लिये लेकर ठिकाने के समय ही मालाराम, भगुराम, सूरजाराम नेतराम आबाद हुये व मकानात बनाये व पानी पीने के लिये कुए का निर्माण करवाया । जलदाय विभाग ने सन 1984-85 में पाईप लाईन डलवाकर पानी की टंकी का निर्माण व हैण्डपम्प का निर्माण करवाया व सार्वजनिक उपयोग के लिये राजस्थान सरकारी की ओर से टीनसेड का निर्माण करवाया गया । विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन अपीलांटस ने ले रखे हैं व टेलीफोन कनेक्शन भी ले रखे हैं सम्वत 2012 में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया । सर्वेसीट सन 1992 में विवादित जमीन को आबादी भूमि होने का अंकन किया हुआ है तथा खसरा गिरदावरियों में आबादी के काम में आने का तथ्य दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्मवत 2040 से आज तक व पहले से व खतौनी सम्वत 2060 से 2080 में मकानात होने का अंकन है। आवेदन पत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 5 की टीनेन्सी की विवादित जमीन नहीं है। ठिकाने के समय से ही टीनेन्सी खत्म कर तत्कालीन ठिकाने ने आबादी के लिये जमीन दे दी थी। राज0 काश्तकारी अधि0 1955 लागू होने के बाद कभी भी टेनेन्ट व भूमि अधिकारी का रिश्ता नहीं रहा। इस कारण लगान अदा नहीं किया गया, लगान का संविदा भी नहीं हुआ। 65 साल से भी अधिक समय से विवादित जमीन कृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली गई। इस कारण विकल्प में अपीलांटस का यह भी कथन है कि टिनेन्सी खत्म हो गयी व आवेदकगण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का हक न है व न था। ठिकाने के समय से ही अपीलान्टस व अन्य उक्त विवादित जमीन में रिहायशी मकानात बनाकर आबाद हैं व अन्य कोई रिहायशी गुवाड़ी नहीं है। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में न रखकर बिना विवेचना के निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 26.08.2013 को अपास्त किया जाकर

रेस्पोडेन्टस नंबर 1 से 5 का आवेदन पत्र अं0धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधि0 खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्कों के समर्थन में 1996 आर.आर.डी पेज–84, 1995 आर.आर.डी पेज 515, 1994 आर.आर.डी पेज 773, 1970 आर.आर.डी 387, 1975 आर.आर.डी 272, 2002 आर.आर.डी पेज 623, 1995 आर.आर.डी पेज 325 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । ना ही पक्षकारान की विधिवत तामिल हुई है। वादग्रस्त भूमि ठिकाने के समय से ही कृषि भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। मकान बने हुये हैं। अपीलांट के वर्षों पुराने पानी का कनेक्शन विद्युत कनेक्शन, कुआ, पानी की टंकी, मंदिर, हैण्ड पम्प आदि बने हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि मानकर बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट के विरूद्व बेदखली का आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मियाद बाहर है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। सर्वेसीट सन 1992 में विवादित जमीन खसरा नंबर 229, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 239 व खसरा नंबर 240 को आबादी भूमि होने का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावी सम्वत 2040 से आज तक व पहले से व खतौनी सम्वत 2060 से 2080 में मकानात होने का अंकन है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये मियाद 12 साल है। वादग्रस्त भूमि पर मकानात का निर्माण ठिकाने के समय से 65 साल से भी अधिक समय पहले करवाया गया था। इस प्रकार 65 साल से भी अधिक समय से विवादित जमीन कृषि परियोजनार्थ काम में नहीं ली गयी है,टीनेन्सी खत्म हो गयी व आवेदकगण को आवेदन पत्र प्रस्तुतकरने का हक न है और न था। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 26.08.2013 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में 1996 आर.आर.डी पेज–84, 1995 आर.आर.डी. 515, 1994 आरआरडी 773, 1970 आरआरडी 387, 1975 आरआरडी 272, 2002 आरआरडी 623, 1995 आरआरडी 325 नजीरें प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि – वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 5 की खातेदारी भूमि है जो नायक जाति के हैं तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं । अपीलांट जाट जाति से हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं । इस प्रकार एसी की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का समसम्मान अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में मौके की स्थिति तथा मियाद के बिन्दू पर अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी गई। अपीलांट का कथन है कि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में 12 साल बाद बेदखली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय से करीब 65 साल से मकानात बनाकर आबाद हैं, बिजली पानी, के कनेक्शन हैं। वादग्रस्त भूमि ठिकाने के समय से ही आबादी भूमि रही है। इन सब बिन्दूओं पर तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 5 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपीलांट को बेदखल करने का निवेदन किया गया है, लेकिन इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 की ओर से कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने प्रार्थीगण/ रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 की कोई साक्ष्य ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2013 उनवानी जगदीश आदि बनाम जीवन आदि अं0धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम मु0नं0 02/2012 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मुलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुये पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये निर्णय में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के मध्यनजर मियाद के बिन्दू पर विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत

निर्णय पारित करे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू